उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/53

पं.सं. 720-ई/ 50 / 6 सी.पी.सी / Pension / 08 दिनांक 10/12/2008

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Special benefits in cases of death and disability in service - payment of Disability Pension/Family pension - regarding.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. F(E)III/2008/PN1/20 दिनांक 25/11/2008 (आर.बी.ई.सं.189/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI-53 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र सं. F(E)III/2000/PN1/16 दिनांक 8/3/2000 की प्रतिलिपि मु0क्रं0सं0 12001/2000 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त

10/12/2008
(Trilok Choudhari)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएमयू;12 चेम्सफोर्ड रोड;नयी दिल्ली
3. महासचिव;अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर;नईदिल्ली-24
4. महासचिव;अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय
प्राप्ति
2 DEC 2008
पूर्वान्ह
बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

PC-VI - 53

R.B.E. No. 189 / 2008.

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Railways/Rail Mantralaya
(Railway Board)

No. F(E)III/2008/PN1/20 New Delhi, Dated 25.11.2008.

The GMs/FA&CAOs,
All Indian Railways/Production Units.
(As per mailing List)
Northern Rly – New Delhi

Subject: Special benefits in cases of death and disability in service – payment of Disability Pension/Family pension – regarding.

****

A copy of Department of Pension & Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M.No. 45/3/2008-P&PW(F) dated 18.11.2008 on the above mentioned subject, is forwarded herewith for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on the Railways also. CCS (Extraordinary Pension) Rules corresponds to Railway Services Ex-traordinary (Pension) Rules,1993 and DOP&PW's O.M. dated 3.2.2000, referred in the enclosed O.M., was circulated vide Board's letter No. F(E)III/2000/PN1/16 dated 8.3.2000.

2. Please acknowledge receipt.

DA: As above

(S.Sreeram)
Joint Director Finance (Estt.)
Railway Board.

3

No.45/3/2008-P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated 18th November, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Special benefits in cases of death and disability in service – payment of Disability Pension/Family pension – regarding.

....

The undersigned is directed to say that in implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, orders for revision of pension of pre-2006 pensioners have been issued vide this Department's O.M. No.38/37/08-P&PW(A) dated Ist September,2008. These orders are also applicable to the pre-2006 pensioners in receipt of disability pension/family pension under CCS (EOP) Rules.

2. The disability pension/family pension under CCS (EOP) Rules in respect of the Government servants, who retire/die on or after 1.1.2006 will continue to be regulated in accordance with the CCS (EOP) Rules as amended vide this Department's O.M. No.45/22/97-P&PW(C) dated 3rd February, 2000 with following modifications:-

Para 3.I (1) (a) & (b) of O.M. dated 3.2.2000 – Family pension for categories `B' & `C'

(a) Where the deceased Government servant was **not** holding a pensionable post:

40% of basic pay* **subject to a minimum of Rs.4550/-**

(b) Where the deceased Government servant was holding a pensionable post:

60% of basic pay* **subject to a minimum of Rs.7,000/-**

* The Basic Pay referred to above in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Pay Band plus the applicable Grade Pay

Para 3 II (2) of O.M. dated 3.2.2000 – Family pension under categories `D' & `E'

(2) If the Government servant is not survived by widow but is survived by child/children only, all children together shall be eligible for family pension at the rate of 60% of basic pay **subject to a minimum of Rs.7,000/-.**

Para 3 III (2) of O.M. dated 3.2.2000 – Disability Pension – for cases covered under categories 'B' and 'C'

(2) For lower percentage of disability, the monthly disability pension shall be proportionately lower as at present, provided that where permanent disability is not less than 60%, the total pension (i.e., pension or service gratuity admissible under the ordinary pension rules plus disability pension as indicated at (1) above shall not be less than 60% of basic pay, **subject to a minimum of Rs.7,000/-.**

...2/-

4

-2-

3. All other terms and conditions in the O.M. dated 3rd February, 2000, shall remain unchanged.

4. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure U.O. No.42/30/2008-IC dated 21st October, 2008.

5 In so far as persons serving in the Indian Audit & Accounts Department, these orders issue after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

(M.P. SINGH)
Director (PP)
Tele:24624802

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

5

सं.45/3/2008-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
****

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 18 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :सेवा काल में मृत्यु तथा अशक्तता से ग्रस्त होने के मामलों में विशेष लाभ-अशक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में, 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के आदेश, इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू द्वारा जारी किए गए हैं । ये आदेश सी.सी.एस. (ई.ओ.पी.) नियमावली के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन प्राप्त कर रहे, 2006 से पहले के पेंशनभोगियों के संबंध में भी लागू होते हैं ।

2. जो सरकारी सेवक 1.1.2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हुई, के संबंध में सी.सी.एस.(ई.ओ.पी.) नियमावली के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन /कुटुम्ब पेंशन को, निम्नलिखित संशोधनों के साथ इस विभाग के दिनांक 3 फरवरी, 2000 के का.ज्ञा.सं. 45/22/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (सी) द्वारा यथा संशोधित सी.सी.एस. (ईओ.पी.) नियमावली के अनुसार, विनियमित किया जाना जारी रहेगा :-

दिनांक 3.2.2000 के का.ज्ञा. का पैरा 3.1 (i)(क)(क)-'ख' और 'ग' श्रेणियों के लिए कुटुम्ब पेंशन

(क) जहां दिवगत सरकारी सेवक पेंशन योग्य पद धारण किए हुए नहीं था:
मूल वेतन* <u>का 40% तथा न्यूनतम 4550/-रूपए</u>

(ख) जहां सरकारी सेवक पेशन योग्य पद धारण किए हुए था :
मूल वेतन* <u>का 60% तथा न्यूनतम 7000/-रूपए</u>

....2/-

5

सं.45/3/2008-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 18 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :सेवा काल में मृत्यु तथा अशक्तता से ग्रस्त होने के मामलों में विशेष लाभ-अशक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में, 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के आदेश, इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू द्वारा जारी किए गए हैं । ये आदेश सी.सी.एस. (ई.ओ.पी.) नियमावली के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन प्राप्त कर रहे, 2006 से पहले के पेंशनभोगियों के संबंध में भी लागू होते हैं ।

2. जो सरकारी सेवक 1.1.2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हुई, के संबंध में सी.सी.एस.(ई.ओ.पी.) नियमावली के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन /कुटुम्ब पेंशन को, निम्नलिखित संशोधनों के साथ इस विभाग के दिनांक 3 फरवरी, 2000 के का.ज्ञा.सं. 45/22/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (सी) द्वारा यथा संशोधित सी.सी.एस. (ईओ.पी.) नियमावली के अनुसार, विनियमित किया जाना जारी रहेगा :-

दिनांक 3.2.2000 के का.ज्ञा. का पैरा 3.1 (i)(क)(क)-'ख' और 'ग' श्रेणियों के लिए कुटुम्ब पेंशन

(क) जहां दिवगत सरकारी सेवक पेंशन योग्य पद धारण किए हुए नहीं था:
मूल वेतन* <u>का 40% तथा न्यूनतम 4550/-रूपए</u>

(ख) जहां सरकारी सेवक पेशन योग्य पद धारण किए हुए था :
मूल वेतन* <u>का 60% तथा न्यूनतम 7000/-रूपए</u>

...2/-

2

6 -2-

संशोधित वेतन ढांचा में उपर्युक्त सदर्भित मूल वेतन का अर्थ है निर्धारित वेतन बैंड और लागू ग्रेड वेतन को मिलाकर आहरित मूल वेतन

दिनांक 3.2.2000 के का.ज्ञा. का पैरा 3 II (2) -'घ' और 'ड' श्रेणियों के अंतर्गत कुटुम्ब पैंशन

(2) यदि सरकारी सेवक की विधवा जीवित नहीं हो परन्तु उसका बच्चा/बच्चे ही जीवित हों तो सभी बच्चे मिलकर मूल वेतन के 60% की दर पर कुटुम्ब पैंशन के लिए पात्र होंगे, <u>जो न्यूनतम 7000/-रूपए होगी</u> ।

दिनांक 3.2.2000 के का.ज्ञा. का पैरा 3 III (2) - अशक्तता पैंशन -'ख' और 'ग' श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के लिए

(2) अशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए, मासिक अशक्तता पैंशन वर्तमान के अनुसार अनुपातिक रूप से निम्नतर होगी, बशर्ते कि जहां स्थायी अशक्तता 60% से कम नहीं है, तो कुल पैंशन अर्थात् साधारण पैंशन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य पैंशन या सेवा उपदान (ग्रेच्यूटी) और अशक्तता पैंशन को मिलाकर, जैसा कि उपर्युक्त (i) पर विनिर्दिष्ट है, मूल वेतन के 60% से कम नहीं होगी, तथा <u>न्यूनतम 7000/- रूपए होगी</u> ।

3. दिनांक 3 फरवरी, 2000 के का.ज्ञा.में अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगी ।
4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के यू.ओ. सं. 42/30/2008-आई.सी. दिनांक 21 अक्तूबर, 2008 द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है ।
5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए हैं ।

(एम.पी.सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
दूरभाष : 24624802

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, मानक डाक सूची के अनुसार